न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

सरोज बनाम धारासिंह वगै0

प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
01.07.2021	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट वकील सायंला द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायला ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, जमाबंदी संवत् 2071–2075 व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता सायला की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.08.2021 तक पावंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 384 वाके ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ(अलवर) में सायला को उसके हिस्से मुताविक कुल कृषि कार्य करने आराजी को जोतने, वोने,फसल काटने–समेटने आदि में रूकावट मजामत पैदा ना करें,ना सायला के हिस्से पर जवरन कब्जा करें तथा दौराने दावा आराजी मुतनाजा में जवरन कच्चा पक्का निर्माण आदि ना करें,जयरन रास्ता कायम ना करें,ना सडक निर्माण करें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 24.08.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यो ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव कर दिनांक 24.08.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

24/8/21. पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण की तलबी अप्राप्त। वास्ते तलबी नोटिस जारी हो। पत्रावली में पूर्व में जारी T.I की अवधि को बढाया जाता है। पत्रावली दि0 29/11/21 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19/12/23	पत्रावली पेश। P.O. साहब केम्प कार्य [illegible] है। पत्रावली दिनांक 16/1/24 को पेश हो। [illegible] रीडर
	16.1.24 वकील प्रार्थी [illegible] की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] ने अंतिम मौका दिनांक 09/2/24 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी गोविंदगढ़ (अलवर)
09.2.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थी की अनुपस्थित। अतः प्रार्थना पत्र -2/2 वकील व उनके प्रार्थी की अदम हाजिरी -अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०